

१६

निर्णय लिखवाया जाकर आज 23/11/2016 दिनांक को संदे इजलास सुनाया गया है।

हमने प्रेरीकार सरकार के कथनों पर विचार किया तथा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, पत्रावली के तथ्यों एवं रिकॉर्ड शाहदत का अवलोकन किया। अपीलान्त की ओर से पत्रावली पर रजिस्ट्रार आर्वादन की शर्तों की गयी विवाहित भूमि का आवंटि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि के द्वारा कृषि रजिस्ट्रार आर्वादन सलाहकार समिति के द्वारा कृषि प्रयोजनार्थ आवंटित की गयी विवाहित भूमि का आवंटि किया है। अब अपीलार्थी की ओर से प्रेरीकार सरकार ने उक्त विवाहित भूमि से सम्बन्धित रजिस्ट्रार आर्वादन के हक में किया गया अपीलान्त आदेश दिनांक 10/7/1973 माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा रिटपिटीशन सं. 3374/2005 में पारित आदेश दिनांक 05/5/2006 के परिपेक्ष में न्याय है। अब जब अपीलार्थी आर्वादन की माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से स्वतः ही न्याय हो गया है तो प्रथमतः प्रकरण में किसी प्रकार की अतिरिक्त कार्यवाही की जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रेरीकार सरकार द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रार आर्वादन के निर्णय को अमान्यता दी जावे।

पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित अपीलार्थी लैण्ड रजिस्ट्रार तहसीलदार कोटपूरली की ओर से प्रेरीकार सरकार (नायब तहसीलदार कोटपूरली) ने उपस्थित होकर प्रथमतः प्रकरण में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान बेंच जयपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नम्बर 3374/2005 व उन्वानी छोट्टे एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य में दिनांक 05/5/2006 को पारित निर्णय के परिपेक्ष में हस्तगत प्रकरण में वर्णित आर्वादी से सम्बन्धित भू-आर्वादन आदेश मनसूख हो गया है। अतः प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावे। अपने कथन के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 05/5/2006 की छाया प्रति आदि रिकॉर्ड दर्खावेजाल पेश किये।

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
--------	----------------------	-------------

२१०/२०१५
 नाम
 फर्द अहकाम